# न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

**पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.**

राजस्व अपील संख्या : 13/2024 G.C.M.S. No. 2024/162 दर्ज दिनांक : 11.06.2024

**अपीलार्थिगणः**

1. महेन्द्रसिंह पुत्र शिवसिंहजी, उम्र वयस्क
2. पर्वतसिंह पुत्र शिवसिंहजी, उम्र वयस्क
3. अभयसिंह पुत्र शिवसिंहजी, उम्र वयस्क
4. सीताबाई पत्नि शिवसिंहजी, उम्र वयस्क

तमाम जातिगण राजपूत, निवासीगण शिवगढ़, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही (राज.)

**बनाम**

**प्रत्यर्थिगणः**

1. वागाराम पुत्र श्री सजारामजी, जाति रेबारी, निवासी शिवगढ़, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा, जिला सिरोही (राज.)

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखिलाफ आदेश दिनांक 15.02.2024 बअनवान वादी वागाराम बनाम प्रतिवादीगण महेन्द्रसिंह वगैरह न्यायालय सहायक कलक्टर पिण्डवाडा जिला सिरोही, प्रकरण संख्या राजस्व मूल 13/2020 एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963**

**उपस्थित–**

1. श्री रामलाल भाटी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट संख्या 1 लगायत 4
2. श्री लक्ष्मण चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2

## निर्णय

**दिनांकः 24.10.2024**

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर पिण्डवाडा के राजस्व वाद संख्या 13/2020 बअनवान वागाराम बनाम महेन्द्रसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट संख्या 1 लगायत 4 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि ग्राम शिवगढ़, पटवार हल्का कोजरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोजरा, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही के खाता संख्या 210 खसरा नंबर 417 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी 3 व खसरा नंबर 420 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी 2 कुल खसरान 2 कुल रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा का पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त आराजी खाता संख्या 210 खसरा नंबर 417 व 420 कुल रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा में 1/2 वां हिस्सा अपीलांट व

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

1/2 हक हिस्सा किशोरसिंह पुत्र श्री लालसिंह कौम राजपूत राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज था। तथा मौके पर दोनों हिस्सेदारों के मध्य उक्त आराजी मौखिक रूप से पुराने समय से विभाजित कर काश्त करने के लिए दोनों के हिस्सों के मध्य लोर सीमा बनाई हुई हैं। दोनों हिस्सेदार अपने–अपने हिस्से की भूमि में पृथक–पृथक काश्त करते आ रहे हैं। जिसमें से किशोरसिंह पुत्र श्री लालसिंह कौम राजपूत के 1/2 हिस्से को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया है। उस अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा जमाबंदी में दर्ज है एवं उक्त आराजी वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान के मध्य अविभाजित होकर संयुक्त कब्जेकाश्त की हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भी क्रेता द्वारा सुपुर्द किये गये हिस्से पर काबिज है। किन्तु अपीलांट जबरन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसके हिस्से से बेदखल कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से को अपीलांट को बेचान कर देने के लिए दबाव बनाते हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 28.05.2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से व कब्जे वाले एक खेत पर जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ट्रेक्टर से जुताई करवाई हुई थी, उस पर पुनः अपीलांट ने ट्रेक्टर से जुताई कर दी हैं। जिसकी रिपोर्ट दिनांक 15.06.2020 को पुलिस थाना स्वरूपगंज को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पेश की गई। इस प्रकार अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसके हिस्से में काश्त कार्य करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने हक–हिस्से की भूमि का By metes and bounds सिद्धांत के आधार पर बंटवाड़ा करवाने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जोकि पूर्णतया विधिविरूद्ध है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2024 पारित करने से पूर्व पत्रावली में अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर ही नहीं दिया एवं दिनांक 04.01.2024 को अपीलांट का जवाबदावा बंद करते ही पत्रावली प्राथमिक डिक्री हेतु दिनांक 30.01.2024 को नियत की एवं दिनांक 30.01.2014 से दिनांक 15.02.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाड़ा प्रस्ताव तलब किया गया, साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के जवाब के अवसर को समाप्त नहीं किया हैं एवं दिनांक 04.01.2024 को केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के जवाब को ही बंद किया है। प्रतिवादी संख्या 5 के जवाब बाबत किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया है। केवल मात्र एकतरफा बहस सुनने का इन्द्राज कर दिनांक 15.02.2024 को उक्त आदेश पारित किया है। जोकि पत्रावली में वर्णित तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का जवाबदावा बंद किये जाने के बाद प्रकरण में कोई साक्ष्य दर्ज नहीं की हैं, ना ही साक्ष्य रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पेश की गई हैं। बिना साक्ष्य के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किया है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में न तो वादी की साक्ष्य ली एवं ना ही वादी की साक्ष्य बंद की। सीधे ही बहस सुनकर दिनांक 15.02.2024 को आदेश पारित कर दिया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2024 को पारित आदेश की जानकारी तब हुई जब अपीलांट द्वारा दिनांक 15.04.2024 को प्रकरण की पैरवी हेतु सम्पर्क किया गया। तत्पश्चात दिनांक 16.04.2024 को अपीलांट द्वारा नकल की मांग की गई, जोकि अपीलांट को दिनांक 18.04.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2024 को प्राप्त हुई। तदुपरांत अपीलांट द्वारा श्रीमान के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत की गई। इस प्रकार प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाबदावा प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं प्रदान कर, प्रकरण में किसी प्रकार की साक्ष्य दर्ज न कर सीधे ही एकतरफा बहस सुनकर उक्त विधि में प्रदत्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जोकि पूर्णतया निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें। म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया।

रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण. के. चौधरी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपील, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2024 की अपीलांट को जानकारी दिनांक 15.04.2024 को हुई, जब प्रकरण की पैरवी हेतु सम्पर्क किया गया इस पर दिनांक 16.04.2024 को अपीलांट द्वारा नकल की मांग की गई, जो दिनांक 18.04.2024 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात अधिवक्ता से संपर्क कर अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल को माफ करते हुए अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।

2. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट का विरोध करते हुए अपील म्याद बाहर होने से खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया।

3. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 27.10.2020 के अंकन अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त हुए तथा आदेशिका दिनांक 23.11.2020 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 जोकि अपीलांट संख्या 1 महेन्द्रसिंह है, की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया। आदेशिका दिनांक 20.12.2023 के अनुसार पत्रावली प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के जवाब में नियत थीं। आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.01. 2024 की आदेशिका अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 का जवाब बंद कर एकपक्षीय बहस सुनकर प्राथमिक डिक्री हेतु 30.01.2024 को नियत की। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किए बिना अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया हैं। अतः निर्णय दिनांक से अपीलांट को इसकी जानकारी हों यह नहीं माना जा सकता। लिहाजा यह सहज धारणा की जा सकती है कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 15.04.2024 को हुई है। अतः अपीलांट द्वारा लापरवाहीपूर्वक विलंब कारित किया जाना साबित नहीं होता है। अतः विलंबकाल को माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

2. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 04.01.2024 को अपीलांट का जवाब बंद करने का अंकन करते

हुए वादी रेस्पोडेन्ट की एकतरफा बहस सुने जाने का अंकन किया, इस संबंध में हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अपीलांट की अनुपस्थिति के संबंध में कुछ अंकित किया है व न ही इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने का कोई अंकन है। इसके बावजूद प्रकरण में वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर प्रकरण प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु नियत किया जाना विधिसंगत एवं उचित नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय की प्रकरण में आगामी आदेशिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में दिनांक 04.01.2024 को बहस सुनने के पश्चात दिनांक 30.01.2024 को यह अंकित किया है कि प्राथमिक डिक्री हेतु 15.02.2024 को पेश हों। तत्पश्चात आदेशिका दिनांक 15.02.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी हो, का अंकन है। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में किस दिनांक को प्राथमिक डिक्री जारी की, जबकि नियमानुसार आदेश जारी किए जाने के 15 दिवस के भीतर डिक्री पर्चा जारी किया जाना आवश्यक है। जोकि हस्तगत प्रकरण में नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2024 का समर्थन एवं पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण विधिअनुरूप पुनः निर्णित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

## आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पिण्डवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/2020 बअनवान वागाराम बनाम प्रतिवादीगण महेन्द्रसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाबदावा लिया जाकर विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 02.12.2024 को न्यायालय सहायक कलक्टर पिण्डवाडा जिला सिरोही में जरिये असालतन/वकालतन उपस्थित हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **24.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली